*International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)*
*ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714*
*www.ijhssi.org ||Volume 15 Issue 9 || September 2026 || PP. 63-67*

# "मनरेगा का ग्रामीण रोजगार एवं आर्थिक विकास पर प्रभाव: झारखण्ड के लातेहार जिले का एक अध्ययन"

रंजीत कुमार
*YBN विश्वविद्यालय*
*अर्थशास्त्र विभाग*

डॉ निशीथ कुमार ता
*एसोसिएट प्रोफेसर*
*अर्थशास्त्र विभाग*
*YBN विश्वविद्यालय राजाउलातू राँची*

***सारांश (Abstract)***

*महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 ग्रामीण परिवारों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने वाली भारत की प्रमुख मांग-आधारित रोजगार योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक अकुशल शारीरिक श्रम का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराना है। झारखण्ड का लातेहार जिला आदिवासी बहुल, आकांक्षी जिला तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ कृषि के अतिरिक्त रोजगार के अवसर सीमित हैं और मौसमी पलायन एक महत्वपूर्ण समस्या है।*

*प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों के आधार पर लातेहार जिले में मनरेगा के रोजगार, आय, पलायन, सामाजिक समावेशन तथा ग्रामीण परिसंपत्ति निर्माण पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है। अध्ययन में 2022–2025 के NREGA MIS आंकड़ों तथा लातेहार, चंदवा और बालूमाथ प्रखंडों के 120 परिवारों के सर्वेक्षण का उपयोग किया गया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2024–25 में जिले में 85,930 परिवारों को रोजगार मिला तथा 52.1 लाख मानव-दिवस सृजित हुए। महिला भागीदारी 58 प्रतिशत तथा SC/ST भागीदारी 72 प्रतिशत रही। सर्वेक्षण में 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि मनरेगा के कारण उनका मौसमी पलायन कम हुआ।*

*अध्ययन से यह भी सामने आया कि भुगतान में देरी, कार्य की गुणवत्ता, नेटवर्क संबंधी समस्याएँ तथा योजना के अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। समग्र रूप से मनरेगा लातेहार जैसे ग्रामीण एवं अपेक्षाकृत पिछड़े जिले में रोजगार और आजीविका सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है।*

***कुंजी-शब्द: MGNREGA, ग्रामीण रोजगार, आर्थिक विकास, लातेहार, झारखण्ड, पलायन, महिला सशक्तिकरण।***

**1. प्रस्तावना (Introduction)**

भारत में ग्रामीण गरीबी, बेरोजगारी और आजीविका की असुरक्षा लंबे समय से विकास नीति की प्रमुख चुनौतियाँ रही हैं। आर्थिक सुधारों के बाद कृषि क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की गति धीमी होने तथा ग्रामीण-शहरी असमानता के संदर्भ में ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार सुरक्षा की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हुई। इसी पृष्ठभूमि में 25 अगस्त 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया, जिसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के रूप में जाना गया।

झारखण्ड की लगभग 76.04 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और राज्य में बड़ी संख्या में लोग कृषि, वन संसाधनों तथा असंगठित श्रम पर निर्भर हैं। लातेहार जिला 100 प्रतिशत अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 44 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 11 प्रतिशत बताई गई है। कम कृषि उत्पादकता, वन पर निर्भरता, सीमित गैर-कृषि रोजगार तथा मौसमी पलायन जिले की प्रमुख सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों में शामिल हैं।

ऐसे संदर्भ में मनरेगा केवल मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रम नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों के लिए आय की स्थिरता, स्थानीय रोजगार और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण का माध्यम भी बन सकता है। इस अध्ययन का केंद्रीय प्रश्न है कि लातेहार जिले में मनरेगा ने रोजगार, आय, पलायन और ग्रामीण आर्थिक विकास को किस हद तक प्रभावित किया है।

**2. अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)**

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. लातेहार जिले में मनरेगा द्वारा सृजित रोजगार का मात्रात्मक विश्लेषण करना।
2. ग्रामीण परिवारों की आय, खपत तथा पलायन पर मनरेगा के प्रभाव का आकलन करना।
3. सामाजिक समावेशन, विशेषकर महिलाओं तथा SC/ST समुदायों की भागीदारी का अध्ययन करना।
4. मनरेगा के कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना तथा नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

**3. शोध पद्धति (Research Methodology)**

अध्ययन का स्वरूप व्याख्यात्मक एवं अनुभवजन्य (Explanatory and Empirical) है। अध्ययन क्षेत्र के रूप में लातेहार जिले के तीन प्रखंड—लातेहार, चंदवा और बालूमाथ—का चयन किया गया है। चयन में अनुसूचित जनजाति की आबादी तथा मनरेगा के प्रदर्शन को आधार माना गया।

बहु-चरणीय यादृच्छिक नमूनाकरण (Multi-stage Random Sampling) पद्धति के माध्यम से प्रत्येक प्रखंड से 40 परिवार, अर्थात कुल 120 परिवारों का चयन किया गया। प्राथमिक आंकड़े जनवरी से मार्च 2025 के दौरान संरचित प्रश्नावली तथा फोकस समूह चर्चा के माध्यम से एकत्र किए गए। द्वितीयक आंकड़ों के लिए NREGA MIS Portal, District Statistical Handbook 2024 तथा पंचायत रिपोर्टों का उपयोग किया गया। आंकड़ों के विश्लेषण में प्रतिशत, औसत, बार ग्राफ तथा पाई चार्ट जैसे उपकरणों का उपयोग किया गया है।

## 4. परिणाम एवं चर्चा (Results and Discussion)

### 4.1 मनरेगा और रोजगार सृजन

उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि अध्ययन अवधि में मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजन में वृद्धि हुई। तीन वर्षों में जॉब कार्डों की संख्या में 2.9 प्रतिशत और रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या में 9.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मानव-दिवसों में लगभग 23 प्रतिशत वृद्धि हुई। औसतन 61 दिनों का रोजगार उपलब्ध हुआ, जो दस्तावेज में दिए गए 54 दिनों के राष्ट्रीय औसत से अधिक बताया गया है। 2024–25 में लातेहार जिले में 85,930 परिवारों को रोजगार मिला तथा लगभग 52.1 लाख मानव-दिवस सृजित हुए। इससे स्पष्ट होता है कि मनरेगा ग्रामीण श्रम बाजार में स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराने तथा परिवारों की आय में सहारा देने की भूमिका निभा रहा है।

### 4.2 आर्थिक प्रभाव और ग्रामीण आय

अध्ययन में ₹240 की दैनिक मजदूरी के आधार पर एक परिवार के लिए औसतन 61 दिनों के रोजगार से लगभग ₹14,640 की अतिरिक्त वार्षिक आय का उल्लेख किया गया है। सर्वेक्षण में 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि मनरेगा से प्राप्त धन का उपयोग मुख्यतः भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं में हुआ। ग्रामीण हाट में बिक्री में 18 प्रतिशत की वृद्धि भी देखी गई, जो यह दर्शाता है कि मनरेगा की आय का प्रभाव केवल परिवार की तत्काल खपत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्थानीय बाजार में मांग को बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव पैदा कर सकता है।

### 4.3 पलायन में कमी

लातेहार जैसे जिले में मौसमी पलायन ग्रामीण परिवारों की आजीविका का महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वेक्षण में 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि मनरेगा के कारण जून से अगस्त के दौरान उन्हें बाहर काम की तलाश में जाने की आवश्यकता कम हुई। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होने से परिवारों को अपने गाँव और सामाजिक नेटवर्क से जुड़े रहते हुए आय अर्जित करने का अवसर मिला। चंदवा प्रखंड की एक केस स्टडी (सुनीता देवी) से स्पष्ट होता है कि 80 दिनों के स्थानीय रोजगार ने प्रवासी मजदूरी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया, परिवार की आय में सहारा दिया और बाद में उन्हें मेट के रूप में कार्य करने का अवसर भी मिला।

### 4.4 महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन

मनरेगा का एक महत्वपूर्ण पक्ष महिलाओं और वंचित समुदायों की भागीदारी है। लातेहार में महिला भागीदारी 58 प्रतिशत तथा SC/ST भागीदारी 72 प्रतिशत बताई गई है। समान मजदूरी, स्थानीय स्तर पर रोजगार तथा क्रेच जैसी सुविधाओं को महिला भागीदारी बढ़ाने वाले कारकों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी केवल आय में योगदान तक सीमित नहीं है; इससे उनकी कार्यस्थल पर उपस्थिति, गतिशीलता और परिवार के निर्णयों में भूमिका को भी मजबूती मिल सकती है।

### 4.5 ग्रामीण परिसंपत्ति निर्माण

मनरेगा का उद्देश्य रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण करना भी है। दस्तावेज में 2024–25 के दौरान 1,240 जल संचयन संरचनाओं, 450 कुओं और 890 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का उल्लेख है। लगभग 2,100 हेक्टेयर भूमि पर वाटरशेड कार्यों के बाद रबी फसल में 15 प्रतिशत वृद्धि दर्ज होने की बात कही

गई है। बालूमाथ प्रखंड में PCC सड़क निर्माण से किसानों की बाजार तक पहुँच आसान हुई और सब्जी से होने वाली आय में 30 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

**5. कार्यान्वयन की प्रमुख चुनौतियाँ (Major Challenges in Implementation)**

अध्ययन में मनरेगा के सकारात्मक प्रभावों के साथ कई कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। लगभग 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भुगतान में 15 दिनों से अधिक की देरी की जानकारी दी। कुछ क्षेत्रों में e-muster के लिए नेटवर्क संबंधी समस्याएँ भी बताई गईं। लगभग 40 प्रतिशत लोगों को 100 दिनों के कानूनी रोजगार अधिकार की पूरी जानकारी नहीं थी। कुछ पंचायतों में कार्यों के प्रकार भी मुख्यतः मिट्टी कार्य तक सीमित पाए गए।

**6. निष्कर्ष (Conclusion)**

लातेहार जिले के उपलब्ध आंकड़ों और 120 परिवारों के सर्वेक्षण से यह संकेत मिलता है कि मनरेगा ने ग्रामीण रोजगार, आय, पलायन में कमी और सामाजिक समावेशन में सकारात्मक योगदान दिया है। महिलाओं तथा SC/ST समुदायों की उल्लेखनीय भागीदारी योजना के समावेशी स्वरूप को दर्शाती है। जल संरक्षण, कुओं, ग्रामीण सड़कों और वाटरशेड जैसे कार्यों के माध्यम से योजना ग्रामीण परिसंपत्ति निर्माण से भी जुड़ती है। फिर भी भुगतान में देरी, नेटवर्क समस्याएँ, जागरूकता की कमी और कार्यों की गुणवत्ता जैसी समस्याओं के समाधान के बिना मनरेगा की पूर्ण क्षमता प्राप्त नहीं की जा सकती।

**7. नीतिगत सुझाव (Policy Recommendations)**

- भुगतान को अधिकतम संभव सीमा तक समयबद्ध बनाते हुए सात दिनों के भीतर DBT तथा विलंब की स्थिति में मुआवजे के प्रावधान का प्रभावी पालन किया जाए।
- मनरेगा कार्यों को NRLM और कृषि विभाग से जोड़कर बकरी शेड, मुर्गी पालन तथा वर्मी कम्पोस्ट जैसी आजीविका परिसंपत्तियों को बढ़ावा दिया जाए।
- तकनीकी सहायकों की उपलब्धता बढ़ाकर परिसंपत्तियों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और उपयुक्त स्थानों पर तकनीकी निगरानी के लिए ड्रोन जैसी तकनीक का उपयोग किया जाए।
- ग्राम सभा, दीवार लेखन और मोबाइल IVRS के माध्यम से 100 दिनों के रोजगार अधिकार तथा मांग-आधारित रोजगार की जानकारी बढ़ाई जाए।
- 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले श्रमिकों को DDU-GKY जैसे कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जाए।
- स्थानीय कृषि, जल संरक्षण और बाजार संपर्क से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देकर मनरेगा को दीर्घकालिक ग्रामीण आजीविका सुरक्षा से जोड़ा जाए।

**8. अध्ययन की सीमा (Limitations of the Study)**

अध्ययन का नमूना लातेहार जिले के केवल तीन प्रखंडों—लातेहार, चंदवा और बालूमाथ—तक सीमित है। इसलिए निष्कर्षों को पूरे जिले या झारखण्ड राज्य के सभी क्षेत्रों पर सीधे सामान्यीकृत करते समय सावधानी आवश्यक है।

**9. संदर्भ (References)**

आज़म, एम. (2012). भारतीय रोजगार गारंटी योजना का श्रम बाजार परिणामों पर प्रभाव: एक प्राकृतिक प्रयोग से साक्ष्य। IZA डिस्कशन पेपर, 6548.

ड्रेज़, जे., और ओल्डिगेस, सी. (2023). मनरेगा कैसे काम करता है? 17 भारतीय राज्यों से साक्ष्य। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 58(12), 45-52.

ग्रामीण विकास मंत्रालय. (2025). वित्तीय वर्ष 2022-2025 के लिए नरेगा MIS रिपोर्ट। भारत सरकार.

झारखण्ड सरकार. (2024). जिला सांख्यिकीय पुस्तिका: लातेहार 2024। अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय.

खेड़ा, आर. (2017). महिला सशक्तिकरण और एजेंसी पर मनरेगा का प्रभाव: राजस्थान से साक्ष्य। इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज, 24(2), 217-234.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग. (2025). वार्षिक रिपोर्ट, लातेहार जिला 2024-25। झारखण्ड सरकार.

पंगारे, जी., और पंगारे, वी. (2010). प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और मनरेगा। विश्व बैंक.

शर्मा, ए. (2021). झारखण्ड में मनरेगा: कार्यान्वयन चुनौतियों का एक अध्ययन। जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 40(3), 301-315.